[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2019- सीमा शुल्क (सीवीडी(

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "न्यू/अनयूज्ड, न्यूमेटिक रेडियल टायर्स चाहे इनमें ट्यूब्स लगी हो या नहीं और चाहे इनमें रबर के फ्लैप लगे हो या नहीं (इनमें ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं) जिनका नामिनल रिम डाया कोड 16" से ऊपर हो, जिनका प्रयोग बसों और लारियों/ट्रकों में होता हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), (जिसे एतश्मिन पश्चात उक्त सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 4011 20 10 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/8/2018-डीजीएडी, दिनांक 25 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित, अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस कारण हुई क्षति के निदान के लिए निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग ड्यूटी का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले उक्त विषयगत माल के आयात पर निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, आंकलन, और सब्सिडाइज्ड वस्तुओं पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आता है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर उस राशि तक की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित दर से परिगणित ड्यूटी की प्रमात्रा और देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, की राशि के बीच अंतर के समतुल्य हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	4011 20 10	न्यू/अनयूज्ड, न्यूमेटिक रेडियल टायर्स चाहे इनमें ट्यूब्स लगी हो या नहीं और चाहे इनमें रबर के फ्लैप लगे हो या नहीं (इनमें ट्यूबलेस टायर्स भी आते हैं) जिनका नामिनल रिम डाया कोड 16” से ऊपर हो, जिनका प्रयोग बसों और लारियों/ट्रकों में होता हो	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	झोंगशी रबर ग्रुप कंपनी लिमिटेड	9.55%
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	शांगडोंग वांडा बोटो टायर कंपनी लिमि टेड	9.18%
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	ट्रिएंगल टायर कंपनी लिमिटेड	12.23%
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	शांगडोंग योंगफ़ेंग टायर्स कंपनी लिमिटेड	9.12%
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	ऐओलस टायर कंपनी लिमिटेड	9.66%
6.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	किंगदाओ येलो सी रबर कंपनी लिमिटेड	9.66%
7.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत अन्य कोई देश	क्रम संख्या 1 से 6 से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	17.57%
8.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	17.57%

			गणराज्य से भिन्न अन्य कोई देश			

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

(क) काउंटर वेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(ख) “सीआईएफ मूल्य” से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है ।

(फाइल संख्या 354/61/2019-टीआरयू(

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार